भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1509
जिसका उत्तर बुधवार, 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है

अखिल भारतीय बार परीक्षा

1509. श्री हिबी ईडन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वकील को नामांकन के बाद विधि व्यवसाय करने के लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा बनाए गए एआईबीई नियम अधिवक्ता अधिनियम का उल्लंघन करते हैं और वकील के रूप में नामांकन के बाद भी एक वकील को एआईबीई उत्तीर्ण करने के लिए मजबूर करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) एआईबीई को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक समाप्त किए जाने की संभावना है ;

(घ) क्या सरकार को लगता है कि बार काउंसिल परीक्षा को ओपन बुक मोड से करवाने जा रही है जो पूरी तरह से अवैज्ञानिक और समय की बर्बादी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार को जानकारी है कि वी. सुधीर बनाम बीसीआई के मामले में, और 1999 (3) एससीसी 176 मामलों में, उच्चतम न्यायालय ने बार काउंसिल प्रशिक्षण नियम, 1995 को निरस्त कर दिया था और बीसीआई अधीनस्थ कानूनों के माध्यम से वकीलों पर अतिरिक्त शर्तें नहीं लगा सकता था और ऐसे मामलों ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन गठित एक कानूनी निकाय है और यह अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) को संचालित कराने के लिए उत्तरदायी है । भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने सुचित किया है कि एक बार कानून का छात्र विधि की डिग्री प्राप्त कर लेता है और किसी राज्य की विधिज्ञ परिषद् में नामांकन पर एक अधिवक्ता हो जाता है तो वह पूरे भारत के राज्यक्षेत्र में विधि व्यवसाय करने का अधिकार रखता है । अखिल भारतीय वार परीक्षा केवल उन कानूनी स्नातकों पर लागू होती है जो 2009-2010 शैक्षणिक सत्र के पश्चात् उत्तीर्ण हुए हैं और वे नामांकन कराते ही विधि व्यवसाय करने के हकदार हैं । यह केवल इतना है कि उन्हें विधि व्यवसाय को जारी रखने के लिए ऐसे नामांकन के दो वर्ष के भीतर अखिल भारतीय बार परीक्षा को पास करना अपेक्षित है । यदि ऐसा अधिवक्ता अपने नामांकन के दो वर्ष के भीतर यह परीक्षा पास करने के योग्य नहीं है तो वह ऐसी परीक्षा के उत्तीर्ण करने तक विधि व्यवसाय करने के अधिकार से वंचित हो जाता है ।

(ख) : भारतीय विधिज्ञ परिषद्, बोनी एफओआई लॉ कॉलेज और अन्य के मामलें में 2008 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 22337 के मामलें में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए संप्रेषणों के अनुसार यह परीक्षा संचालित कराती रही हैं ।

इस परीक्षा का प्रयोजन भारत में विधि व्यवसाय के लिए न्यूनतम मानक तय करना हैं और ऐसे अधिवक्ताओं की, जो विधि का मौलिक ज्ञान और विश्लेषणात्मक सामर्थता रखते हैं, भारत में विधि व्यवसाय करने की योग्यता का पहचान करना है ।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् में ऐसी शर्तों को अधिकथित करने की शक्ति निहित हैं जिसके अधीन अधिवक्ताओं को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन विधि वृत्ति का विधि व्यवसाय करने का अधिकार हैं ।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा विरचित नियम अर्थात् अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम 2010 अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49(1) (क ज) के सुसंगत उपबंध निम्नानुसार दिए गए हैं ।

"49. भारतीय विधिज्ञ परिषद् की नियम बनाने की साधारण शक्ति ।

(1) भारतीय विधिज्ञ परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निवर्हन के लिए नियम बना सकेगी और विशिष्टतयां ऐसे नियम निम्नलिखित के बारे में विहित कर सकेगी :-

(क ज) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए किसी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय करने का अधिकार होगा और वे परिस्थितियां जिनमें किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी न्यायालय में विधि व्यवसाय करता है ।

(ग) : पहली अखिल भारतीय बार परीक्षाएं 2011 में संचालित की गई थी और अब तक भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने पंद्रह अखिल भारतीय बार परीक्षाएं संचालित की हैं इसके अतिरिक्त भारतीय विधिज्ञ परिषद् बनाम बोनी एफओआई लॉ कॉलेज और अन्य के मामलें में 2008 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 22337 शीर्षक मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं । भारतीय विधिज्ञ परिषद् का कोई प्रस्ताव अखिल भारतीय बार परीक्षा को वापस लेने का नहीं हैं ।

(घ) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् पहले ही सफलतापूर्वक पंद्रह परीक्षाएं संचालित करा चुकी हैं, परीक्षाएं खुली किताब परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित हुई हैं यह इस अवधारणा पर आधारित है कि अधिवक्ता के पास न्यायालय में अपने विधि व्यवसाय के दौरान पुस्तकों और बेयर एक्ट तक पहुंच होती हैं और यह परीक्षा पुस्तकों और बेयर एक्ट के साथ विभिन्न मौलिक और प्रक्रिया विधियों के उपयोग में उनकी क्षमता की जांच करती हैं ।

(ङ) : चुंकि मामला विचाराधीन हैं इसलिए उत्तर भाग (ख) और (ग) के अधीन आता हैं ।

****